न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

श्री .... द्वारा आज दि 5-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रहलाद सिंह दांगी पुत्र श्री चुन्नीलाल दांगी,
निवासी –जगथर तहसील सिरौंज
विदिशा (म0प्र0) —— आवेदक

बनाम

देशराज सिंह पुत्र मेहताब सिंह दांगी,
निवासी – जगथर, तहसील सिरौंज, विदिशा
(म0प्र0) —— अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 44/अ–12/2016–17 के विरूद्ध निगरानी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:–

1– यहकि, ग्राम जगथर, तहसील सिरौंज, विदिशा में स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 41, 43, 46 रकवा क्रमशः 0.746, 0.367 एवं 0.670 हैक्टेयर का सीमांकन किये जाने अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसी भूमि से लगी हुयी भूमि सर्वे क्र.66, 47 एवं अन्य सर्वे नम्बर आवेदक के लगे हुए है।

2– यहकि, अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा गोपनीय तरीके से अनावेदक से मिलकर सीमांकन किया, जिसकी आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी, जबकि आवेदक मेढिया कृषक होने के कारण हितबद्ध पक्षकार था। जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक ने अधीनस्थ

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/विदिशा/भू0रा0/2017/2555

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब तहसीलदारमंडल 4 तहसील सिंरोज जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक44/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06-7-2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्यसंक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्रामजगथर स्थित भूमि खसरा नं0 41, 44 एवं 46 रकबा 0.746, 0.367 एवं 1.610 हैक्टर के सीमांकन किए जाने हेतुनायब तहसीलदार सिरोंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कि जाने के निर्देश दिए । राजस्व निरीक्षक ने नायब तहसीलदार के आदेश के परिपालन में सीमांकन कार्यवाही कर प्रतिवेदन नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया । सीमांकन कार्यवाही पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई,जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा आपत्ति को निरस्त करते हुए सीमांकन की पुष्टि की है । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकार्ड के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है।	

3

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अभिलेख में जो सूचनापत्र संलग्न है उसमें आवेदक द्वारा सूचनापत्र पर हस्ताक्षर से इंकार किए जाने का स्पष्ट उल्लेख है । ऐसी स्थिति में यह कहना कि उन्हें जानकारी दिए बिना सीमांकन कार्यवाही की गई है मान्य किए जाने योग्य नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के उपरांत आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष आपत्ति पेश की गई है, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्तिको सारहीन मानकार निरस्त किया गया है एवं सीमांकन की पुष्टि की गई है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

परिणामत: यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्षों को सूचना दी जाये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये ।

प्रशासकीय सदस्य